न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास — श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 67 / 2022

अपीलान्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1 अनिल भाटी पुत्र गुलाबचंद नाई निवासी रीगल टाकीज के पास, नागौर। 2 सुन्दरलाल पुत्र देवीलाल नाई निवासी बंशीवाला मंदिर के पास, नागौर। 3 सत्यनारायण पुत्र रामेश्वरलाल नाई निवासी न्यू कॉलोनी तेलीवाडा नागौर। 4 ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल नाई निवासी मौहल्ला गांधीवाडा नागौर। 5 मोहनलाल पुत्र रामदेव नाई निवासी अमरसिंह कॉलोनी नागौर।		1 सोमवारनाथ चेला श्री शिवचंदनाथ निवासी शिवचंद जी की बगेची, जिला प्रमुख कार्यालय के पास, नागौर। 2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्ट्स की ओर से।
2. श्री रामेश्वर लाल अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 19.05.2026

{1}–अपीलान्ट्स ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील नागौर के मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 348 निर्णय दिनांक 20.05.1981 से असंतुष्ट होकर दिनांक 28.06.16 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट्स की अपील दिनांक 29.08.16 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री रामेश्वर लाल, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट्स ने अपनी अपील के समर्थन में मौजा नागौर के नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 20.05.1981 की फोटोप्रति, सेन समाज ट्रस्ट नागौर के पत्र दिनांक 03.05.16 की फोटोप्रति, मौजा नागौर के खसरा नम्बर 344 के नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, खसरा पत्रक की फोटोप्रति पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलार्थीगण को अपीलाधीन आदेश की पूर्व में जानकारी नहीं थी, अपीलार्थीगण को जानकारी होने पर संबंधित म्यूटेशन की नकल के लिए दिनांक 21.06.2016 को आवेदन पत्र पेश किया, जिसकी नकल दिनांक 27.06.16 को मिली, फिर अधिवक्ता से सम्पर्क कर अपील पेश की। अपीलांट ने अंतिम बहस शुरू करते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– अपीलाधीन म्यूटेशन जेर अपील सर्वथा विधि विरूद्ध, अवैध, अनाधिकृत व बिना अधिकार का होने से प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

19/5/26

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)– वादग्रस्त जायगा जिसका नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने नाम करवाया हैं, वो जायगा नाई समाज की बगेची होने व उक्त जायगा में नाई समाज की कुलदेवी का मंदिर होने के कारण यह जमीन नाई समाज की हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको शिवचंदनाथ का चेला बताकर अपने नाम नामान्तरकरण करवाया है, जो सर्वथा गलत है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बिना किसी जांच के रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में नामान्तरकरण का आदेश पारित कर नामान्तरकरण स्वीकृत किया हैं, जिसमे खसरा नम्बर 344 में नाई समाज की बगेची उल्लेखित है। इस प्रकार उक्त म्यूटेशन विधि विरूद्व व मौके की स्थिति के विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको शिवचंदनाथ का चेला बताकर नामान्तरकरण अपने नाम करवाया हैं, जबकि रेस्पोडेन्ट शिवचंदनाथ का कभी भी शिष्य नही रहा और न ही उसने नामान्तरकरण करवाते वक्त ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश किया, 3 जिससे यह सावित होता हो कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शिवचंदनाथ का शिष्य हो। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के द्वारा बिना जांच किये ही रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण करने में बड़ी भारी कानूनी व वाक्याती भूल की हैं, जिससे नामान्तरकरण संख्या 348 निरस्त करने काबिल है।

{2}(IV)– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा गलत रूप से शुद्धि पत्र भी तैयार कर गुलाबनाथ जो शिवचंदनाथ के गुरू हैं, उनका नाम भी जुगालनाथ करवाया हैं, जिससे अपने आपको शिवचंदनाथ जी का शिष्य बनने के लिए गलत रूप से कूटरचित तरीके से उक्त जमीन हडपने की नियत से शुद्धि पत्र तैयार करवाया हैं, जिससे भी जेर अपील म्यूटेशन निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने मात्र शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण करवाया हैं और रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने मात्र शपथ पत्र के आधार पर नामान्तरकरण किया हैं, जबकि रेकर्ड में ऐसा कोई भी शपथ पत्र पेश नही है, इस तथ्य की पुष्टि में अपीलार्थीगण द्वारा रेवेन्यू रेकर्ड से उक्त शपथ पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपी मांगी गई तो पता चला कि ऐसा शपथ पत्र कोई भी रेकर्ड पर नही है। ऐसी स्थिति में भी आदेश जेर अपील म्यूटेशन निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

{2}(VI)– रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने आपको शिवचंदनाथ का चेला बताकर करोडो रूपये की जमीन हडप करने की नियत से नामान्तरकरण करवा लिया और वर्तमान में उसके नाम से नामान्तरकरण की गई भूमि से बहुत ज्यादा भूमि कब्जे में है और रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त जायगा में दुकानो का निर्माण करवाकर किराये पर दे दी हैं, जबकि किसी तरह का उसने कोई कॉमर्शियल रूपान्तरण भी नही करवाया है। ऐसी स्थिति में भी म्यूटेशन निरस्त करने योग्य है।

{3}– रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील का विरोध करते हुए मियाद एवं गुण–दोष दोनों बिन्दुओं पर तर्क प्रस्तुत किये गये। सर्वप्रथम यह निवेदन किया गया कि अपील अत्यन्त विलम्ब से, लगभग 35 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई है, जबकि अपीलार्थीगण द्वारा विलम्ब के संबंध में कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण प्रस्तुत नहीं किया गया है। केवल जानकारी नहीं होने का सामान्य कथन पर्याप्त नहीं माना जा सकता, विशेषकर तब जबकि नामान्तरण आदेश वर्ष 1981 से राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर सार्वजनिक रिकॉर्ड का भाग रहा है। नामान्तरण संख्या 348 दिनांक 20.05.1981 विधि अनुसार सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा पारित किया गया था तथा उक्त आदेश के आधार पर दशकों से राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियाँ चली आ रही हैं। इतने दीर्घकाल तक उक्त आदेश को किसी सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई, जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान अपील केवल दुर्भावनावश एवं अनावश्यक विवाद उत्पन्न करने हेतु प्रस्तुत की गई है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा अपने गुरु–शिष्य संबंध के आधार पर नामान्तरण करवाया गया था तथा तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा उपलब्ध दस्तावेजों एवं परिस्थितियों के आधार पर संतुष्ट होकर आदेश पारित किया गया। लगभग चार दशकों बाद इस प्रकार के संबंधों पर प्रश्नचिन्ह लगाना विधिसम्मत नहीं है। अपीलार्थीगण द्वारा कथित शुद्धि पत्र को कूटरचित बताने का आरोप भी निराधार है। यदि अपीलार्थीगण को उक्त दस्तावेज के संबंध में कोई आपत्ति थी तो उन्हें सक्षम दीवानी अथवा फौजदारी न्यायालय के समक्ष उचित कार्यवाही करनी चाहिए थी, जबकि ऐसा कोई वाद अथवा निर्णय रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया गया है। नामान्तरण कार्यवाही राजस्व प्रयोजन हेतु होती है तथा इससे स्वामित्व का अंतिम निर्धारण नहीं होता। यदि अपीलार्थीगण स्वयं को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हैं तो उन्हें सक्षम दीवानी न्यायालय में अधिकार घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत करना चाहिए था। मात्र नामान्तरण आदेश के आधार पर स्वामित्व विवाद का निर्णय नहीं किया जा सकता।

19/12/24

अपर कलक्टर, नागौर

8-4 23/2

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसील नागौर के मौजा नागौर के नामान्तरकरण सं. 348 निर्णय दिनांक 20.05.1981 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई। पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि अपीलाधीन आदेश के लगभग 35 वर्ष पश्चात यह अपील पेश की गई है। अपीलान्ट्स द्वारा मियाद के संबंध में केवल यह कहा गया है कि उन्हें पूर्व में जानकारी नहीं थी और दिनांक 27.06.2016 को नकल प्राप्त होने पर अपील दाखिल की, किन्तु यह कथन न तो विश्वसनीय है और न ही विधिक दृष्टि से पर्याप्त, क्योंकि नामान्तरकरण संख्या 348 वर्ष 1981 से सार्वजनिक राजस्व अभिलेखों में दर्ज होकर सार्वजनिक रिकॉर्ड का भाग रहा है तथा इतने दीर्घकाल तक अपील न करना स्वयं में विलम्ब की पुष्टि करता है, अतः अपील मियाद से बाधित होने के कारण ग्रहण योग्य नहीं है। यदि मामले के गुणागुण (Merits) पर भी विचार किया जाए तो अपीलान्ट्स यह सिद्ध करने में असफल रहे हैं कि तत्कालीन सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि अथवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त का उल्लंघन हुआ हो; इसके अतिरिक्त, यह भी सुस्थापित विधिक सिद्वांत है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही फिस्कल कार्यवाही है, जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्णीत नही किये जा सकते है। स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित न्यायालय मे चाराजोही की जानी चाहिये। उक्त नामान्तरकरण विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट्स की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/5/16

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर